हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तेरहवां सत्र

शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2026/29 कार्तिक, 1948(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) तारांकित :

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) अतारांकित :

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. **शून्यकाल:**

3. **नियम-67 के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2026 को प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर पर आगे चर्चा जारी रहेगी।**

4. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:**

   श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

   (i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (तीसरा संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.(1)-1/2012, दिनांक द्वारा 13.11.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 18.11.2025 को प्रकाशित;

   (ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग वितरण निष्पादन विनियम (तीसरा संशोधन) मानक, 2025 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-401, दिनांक द्वारा 01.12.2025 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 06.12.2025 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (चौथा संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.(1)-1/2012, दिनांक द्वारा 18.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 20.02.2026 को प्रकाशित;

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विचलन निपटान विनियम (तीसरा संशोधन) (तंत्र और संबंधित मामले), 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-एच.(1)25/2024, दिनांक द्वारा 28.03.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 30.03.2026 को प्रकाशित;

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी./151-वॉल्यूम-III, दिनांक द्वारा 10.04.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 13.04.2026 को प्रकाशित;

(vi) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना तथा टैरिफ निर्धारण के आठवां नियम और शर्तें संशोधन) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी./428, दिनांक द्वारा 24.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 24.06.2026 को प्रकाशित;

(vii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हिमाचल प्रदेश) विनियम (विद्युत ग्रिड कोड), 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-ग्रिड कोड (388), दिनांक द्वारा 18.06.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 27.06.2026 को प्रकाशित;

(viii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (रूपटॉप सोलर) विनियम (चौथा संशोधन) (पीवी ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम), 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच.पी.ई.आर.सी.-एच. (1)-11/2015, दिनांक द्वारा 19.08.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 22.08.2026 को प्रकाशित;

(ix) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ता (पांचवां संशोधन) (शिकायत निवारण मंच और लोकपाल) विनियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्या: एच. (1)-1/2012, दिनांक द्वारा 13.10.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 15.10.2026 को प्रकाशित;

(x) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 एवं 2024-25; और

(xi) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (b) के अन्तर्गत एसजेवीएन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2025-26।

5. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **महिला एवं बाल विकास निगम** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(2) **श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति का **57 वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(3) **श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27),** समिति का **21वां प्रतिवेदन** जोकि **कार्मिक विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) **श्री पवन कुमार काजल,** "हार-जलाड़ी से खर्टी को जोड़ने वाले पुल के निर्माण में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

(2) **श्री राम कुमार,** "मौजा मलपुर में पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित TRC (Tourism Reception Centre) को निजी उद्योगपति द्वारा तोड़ने (Dismantle) से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।"

7. विधायी कार्य:

<u>सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 20) और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर प्रोन्नति के लिए अर्हक अनुभव निर्धारित करने हेतु वैधानिक ढांचा उपबंधित करने, विनिर्दिष्ट भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में भूतलक्षी संशोधन करने, विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियों एवं पारिणामिक सेवा मामलों की समीक्षा करने, तथा इस अधिनियम के उपबंधों के सुसंगत कतिपय पूर्व कार्रवाईयों एवं कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने तथा इससे संबंधित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश सरकारी सेवाएं (अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 27)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में राज्य की महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सांविधिक मान्यता, देखरेख, संरक्षण, वित्तीय सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा, आश्रय, अवसंरचना और समग्र सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय (महिलाओं और 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' की सामाजिक सुरक्षा) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 29)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(4) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 24)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(5) **श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 25)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(6) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 23)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(7) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 26)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

8. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

श्री रणधीर शर्मा, "प्रदेश को केन्द्र से 16वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त धनराशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने बारे चर्चा उठायेंगे।"

9. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) **श्री केवल सिंह पठानिया,**
श्री सुरेश कुमार, प्रस्ताव करेंगे कि:

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BBMB, JSW एवं Wild Flower Hall से सन्दर्भित निर्णयों तथा किशाऊ बांध समझौते से प्रदेश को होने वाले वित्तीय लाभ एवं आर्थिक सुदृढ़ीकरण बारे" यह सदन विचार करे।

(2) **श्री जीत राम कटवाल,** प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की चरमराती व्यवस्था के सुधार" करने बारे यह सदन विचार करे।

धर्मशाला-176215 (यशपाल शर्मा)
दिनांक: 19 नवम्बर, 2026 सचिव।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)